1027
16/2/13

खण्ड-4

बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

संख्या-6

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1 कार्य़वाही प्रश्नोत्तर सहित)

सत्यमेव जयते

दिनांक : 22 दिसम्बर, 1995 ई०

4. बिहार सरकार गेहूँ के भुगतान हेतु सतत् प्रयत्नशील है। बिहारा राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम से गेहूँ की अपूर्त्ति नहीं होने के कारण मजदूरों को इसका भुगतान नहीं किया जा सका है। जैसे हीं गेहूँ प्राप्त होगा, बकाए गेहूँ का भुगतान कर दिया जाएगा।

निर्णय को निरस्त करना

*ए–115 **श्री कृष्णबल्लभ प्रसाद** : क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि –

1. क्या यह बात सही कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी० डब्लु० जे० सी नं०–5850/92 में सरकार की ओर से प्रतिशपथ पत्र के पारा 6 से 8 में कहा गया है कि सरकार कृतसंकल्प है कि सभी आकस्मिक भृत्यों जिन्होंने तीन वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, को स्थायी करने का विचार रखती है;

2. क्या यह बात सही है कि सरकार के उक्त प्रशिपथ पत्र समर्पित करने के बाद उच्च न्यायालय ने 29–4–95 को फैसले में मामले का निष्पादित कर दिया।

3. क्या यह बात सही है कि सरकार को प्रशासी पदवर्ग समिति ने 22.9.94 को प्रतिशपथ पत्र के विपरीत निर्णय लेकर आकस्मिक भृत्यों को दैनिक मजदूरी पर कार्य करने का व्यवस्था को समीचीन बतलाया है ;

4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च न्यायालय में दिये गये शपथ पत्र के अनुकूल प्रशासी पदवर्ग समिति के निर्णय

को निरस्त करते हुए स्थायी करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, गृह (कारा) विभाग – 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सी० डब्लु० जे० सी० नं० 5850/92 बिहार राज्य जेल चतुवर्गीय कामगार यूनियन एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 29–4–93 को पारित आदेश में उल्लिखित है कि प्रतिशपथ पत्र के पारा 6–8 में विवरण दिया गया है कि वैसे कार्यरत आकस्मिक भृत्यों जिन्होंने लगातार तीन वर्षों से अधिक की सेवा पूरी कर ली है को नियमित सेवा में लेने हेतु उनके विरूद्ध स्थायी पद सृजन के लिए सरकार इच्छुक है या यह सरकार के विचाराधीन है, अन्तिम निर्णय अभी तक लेने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतिलिपि प्राप्ति की तिथि से तीन माह तक का समय दिया गया है।

तीन माह के अन्दर अन्तिम निर्णय नहीं लिए जाने के फलस्वरूप उनके (भृत्यों के संघ) द्वारा एम० जे० सी० सं० 1109/94 दायर किया गया। दिनांक 5.1.95 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले में इस बात का उल्लेख है कि शो–कोज प्रतिशपथ पत्र के पारा रूप से विचारोपरान्त निष्पादित कर दिया। इस तरह माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया गया। पुनः उनके द्वारा नयी याचिका सी० डब्लु० जे० सी० नं०...../95 दायर की गयी है जो माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन है।

2. प्रश्न खण्ड–1 के उत्तर के आलोक में यह आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। माननीय उच्च न्यायालय ने सी डब्लु० जे० सी नं० 5850/92 में दिनांक 29–4–95 को नहीं बल्कि दिनांक 29–4–93 के फैसले में मामले को निष्पादित कर दिया।

3. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। प्रशासी पदवर्ग समिति ने दैनिक मजदूरी पर आकस्मिक भृत्यों को नियोजित

करने की वर्त्तमान व्यवस्था को समीचीन कहा है। समिति का निर्णय निम्न प्रकार है – प्रस्ताव पर विचार करते हुए पाया गया कि जेलों के अन्तर्गत कार्यरत आकस्मिक कर्मचारी दैनिक भुगतान के आधार पर अबतक पारिश्रमिक पाते हैं। कैदियों को संख्या में कमवेशी होते रहने कर्मचारियों की आवश्यकता में भी परिवर्तन व्यवस्था ज्यादा समीचीन लगती है। प्रशासी विभाग पारिश्रमिक दर को पुनरीक्षित करने पर विचार करे।

(ख) स्वेच्छा से काम करने वाले कैदियों के लिए प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने पर विचार हो।

इस प्रकार आकस्मिक भृत्यों की सेवा को नियमित करने के विभागीय प्रस्ताव को सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया।

4. उपर्युक्त खण्डों के उत्तर के आलोक में प्रशासी पदवर्ग समिति के निर्णय को निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि स्थायी पद सृजन के लिए प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा आवश्यक है। इसके लिए प्रशासी पदवर्ग समिति ही सक्षम है।

उन्नत किस्म के गाय की व्यवस्था

*पन-2 **श्री उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, पशुपालन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि –

1. क्या यह बात सही है, कि देशी गायों के नश्ल सुधार तथा श्वेत-क्रान्ति लाने हेतु राज्य के पशुपालकों तथा सरकार द्वारा 50 से 55 हजार क्रोजियन, जर्सी तथा दूसरी उन्नत जातियों की गायें पंजाब एवं हरियाणा से प्रत्येक वर्ष खरीद कर लायी जाती है;

2. क्या यह बात सही है कि राज्य के पशु अस्पतालों में कृत्रिम गर्भाधान दवा एवं चिकित्सा के अभाव